DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, SEPTEMBER 3, 2022
NAME OF NEWSPAPERS------------------------------DATED------------------

Sweet September for slum dwellers due to shift to Kathputli and Kalkaji

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority plans to hand over the first batch of flats built under in situ slum redevelopment projects at Kalkaji Extension and Kathputli Colony this month.

While the first lot of 720 flats will be handed over to Kathputli Colony residents this month itself, 1,575 flats at Kalkaji Extension have already been allotted and possession letters are expected to be issued soon.

While its first two in situ slum redevelopment projects have been delayed by more than a decade, a DDA official said that the National Institute of Urban Affairs (NIUA) has now been engaged for suggesting amendments in the In-Situ Rehabilitation Policy.

A DDA official said 2,890 households were found in the Bhoomiheen Camp at A-14, Kalkaji Extension in a preliminary survey. "Accordingly, DDA has constructed 3,024 flats for their in situ rehabilitation," he said. Draw was conducted in different phases this year for the households found eligible by an eligibility determination committee, he added. "The flats are now ready in all respects and 1,575 flats have already been allotted," the official said. "They are in the process of submission of payment and documents. On receipt of full payment and documents, possession letters will be issued." DDA is carrying out the process of installation of firefighting and fire alarm systems in the rest of the flats in the complex.

Apartment blocks at the Kathputli Colony in situ slum redevelopment complex are also ready and the first batch of around 720 flats out of the total 2,800 are going to be handed over this month. Sources say the first flats may be handed over to the residents by Prime Minister Narendra Modi. The flats at both the projects will be allotted on a payment of Rs 1,42,000, which includes Rs 30,000 as maintenance charge for five years.

NIUA's director Hitesh Vaidya told TOI that the think tank has already been working with the authority on the preparation of the Master Plan for Delhi-2041 and it has suggested changes in the rehabilitation policy as part of the process.

"The one size fits all approach wouldn't work and we have to look at aspects of the requirements of the area, the kind of work the people living in the area are involved in, etc.," Vaidya said, adding that NIUA has also studied successful in situ models across the country to find the best solutions. He said that the approach has to be tailor-made for each slum.

While DDA's first in situ slum rehabilitation project at Kathputli Colony is being developed as a public-private partnership (PPP) project, the Kalkaji project has been carried out by DDA itself. For remaining slum clusters in the area, like Navjeevan Camp, a scheme under PPP project mode has been proposed.

While the flats in the 14-storey residential towers that DDA has constructed came up on a vacant land parcel, the area from which slum dwellers will be shifted will be cleared for creating the next phase of the project. In the next phase, 5,382 flats are proposed to be built under PPP. As part of in situ slum redevelopment projects, 7,499 flats are under different stages of construction, including 1,675 at Jailorwala Bagh. Apart from this, DDA has floated tenders for 10,337 flats at six locations and detailed project reports will be prepared for 15,086 more flats at four other locations.

A ROOF OVER THEIR HEADS

First lot of **1,575** flats to be handed over to Kalkaji slum dwellers soon

3,024 | Total flats constructed for rehabilitation of residents of Bhoomiheen Camp, A-14, **Kalkaji Extension**

1,575 | Number of flats allotted and possession would be given soon

720 | Number of flats expected to be handed to the first batch of Kathputli Colony residents in September, 2022

1 | Bedroom flats, with hall, kitchen, toilet and a balcony.

37 square metre Size of each flat

₹1.42 lakh | Payment to be made by slum dwellers, including **₹30,000** as maintenance charge for 5 years

14 | Storey tall towers in which the flats are located

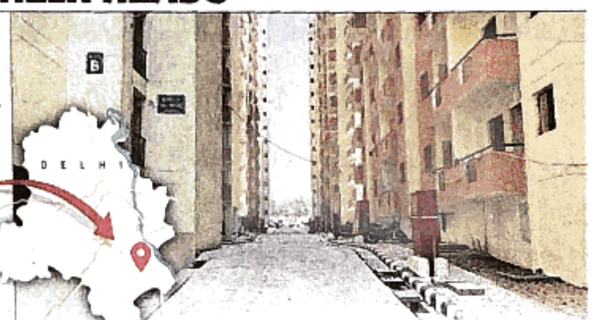

30,000 square metre | Area on which the residential complex has come up

₹250 crore | Approximate project cost

5,382 | Number of additional flats DDA plans for rehabilitation of residents of nearby slum clusters in Kalkaji Extension

PROJECTS UNDER CONSTRUCTION

Number of EWS flats

Kalkaji Extension	Kathputli Colony	Jailorwala Bagh
3,024	2,800	1,675

Total - 7,499

1,000 saplings planted in a big push for sandalwood

Times News Network

New Delhi: LG VK Saxena launched a "first-of-its-kind" sandalwood plantation drive at Qutabgarh village in the southwest part of the capital on Friday, with 1,000 saplings being planted by 500 farmers of the village, Raj Niwas said in statement.

On July 3, the LG had instructed officials of different land-owning agencies like the DDA, MCD, Delhi Parks and Garden Society, Delhi Biodiversity Society, and others to plant 10,000 sandalwood trees across the city to effectively monetise their land resources. He advised them to complete the plantation of these trees during the ongoing monsoon season.

On Friday, Saxena expressed the hope that the 1,000 trees, once grown to their full length in the next 10-12 years, will become a financial asset worth Rs 150 crore for the farmers, apart from providing the city with a fragrant green cover.

Interacting with the farmers present on the occasion, the LG recalled his earlier association with the village when as chairman, Khadi and Village Industries Commission, he had facilitated apiculture (bee-keeping) and successful rejuvenation of a village pond in the locality. Saxena said that experts from Kannauj in UP have been roped in for giving training in grooming and upkeep of these trees to the farmers who had undertaken the plantation of sandalwood trees on their plots.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली शनिवार 3 सितंबर 2022 ----DATED----

तैयारी | दिल्ली में सर्दी के दौरान होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी, संयुक्त कार्ययोजना बनाई जाएगी

प्रदूषण रोकने के लिए 33 विभाग मिलकर काम करेंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में जाड़े के दौरान होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए 33 विभाग तालमेल बनाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को इन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

दिल्ली में यूं तो आमतौर पर भी वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। लेकिन, जाड़े के चार महीनों में हालात सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक ज्यादातर दिनों में वायु गुणवत्ता खराब, बेहद खराब या गंभीर श्रेणी में रहती है।

जाड़े के प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली के सभी विभागों के साथ तालमेल बनाया जा रहा है। सोमवार को होने वाली बैठक में दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, छावनी परिषद, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग जैसे तैंतीस विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदूषण की रोकथाम की संयुक्त कार्यवोजना तैयार की जाएगी।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए सप्ताह भर पहले भी पर्यावरण मंत्री ने बैठक की थी। इसमें पंद्रह ऐसे बिन्दुओं को चिन्हित किया गया था जिन पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया जाना है। अब इन्हीं बिन्दुओं को लेकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी। केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस बार ग्रैप के प्रावधानों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों के अनुसार ग्रैप को लागू करने पर भी विचार-विमर्श होगा।

सरकार ने योजना में इन 15 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया है

1. पराली जलाना
2. धूल प्रदूषण
3. वाहनों से होने वाला प्रदूषण
4. खुले में कूड़ा-कचरा जलाने से होने वाला प्रदूषण
5. औद्योगिक प्रदूषण
6. ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप
7. प्रदूषण के हॉट स्पॉट
8. रियल टाइम में प्रदूषण के स्रोत की जानकारी
9. स्मॉग टावर
10. ई-वेस्ट ईको पार्क
11. हरित क्षेत्र को बढ़ाना
12. अर्बन फार्मिंग
13. ईको क्लब एक्टिविटी को बढ़ावा
14. पटाखा और आतिशबाजी
15. केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद

राजधानी की 56 कॉलोनियां जीरो वेस्ट घोषित

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी की 56 कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया गया है। जिन कॉलोनियों को जीरो वेस्ट घोषित किया गया है, उनको संपत्ति टैक्स में पांच प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट दी जाएगी।

यह बात उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित हरित मित्र एवं सहभागिता कॉलोनियों के सम्मान समारोह में कही। समारोह में निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार, निगमायुक्त ज्ञानेश भारती, निगम के सभी जोन के उपायुक्त के अलावा आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। उप राज्यपाल ने आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों को सौ प्रतिशत निस्तारण करने और अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि राजधानी को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गीला तथा सूखा कूड़ा के निस्तारण के लिए आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग के कारण ही यह संभव हो सका है कि राजधानी की 56 कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (12 वार्ड के तहत आती हैं) को जीरो वेस्ट घोषित किया जा सका है। दिल्ली नगर निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी संस्था हैं जो निगम को काफी सहयोग कर रही हैं। निगम और उनके हाथ मिलाने से शहर को स्वच्छ रखा जा सकता है।

जो लोग कूड़ा निस्तारण को लेकर गंभीर नहीं हैं उन पर पेनेल्टी का भी प्रबंध होना चाहिए। हाउस टैक्स की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। सहभागिता कॉलोनी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जीरो वेस्ट कॉलोनियों को इसमें छूट रहेगी। निगमायुक्त ने कहा कि जीरो वेस्ट कॉलोनी अभियान को पूरी दिल्ली में फैलाना है ताकि शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन सके।

ये कॉलोनियां और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी शामिल

निगम ने जिन कॉलोनियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया है उनमें दक्षिण क्षेत्र की बी पांच तथा बी छह वसंत कुंज, नवजीवन विहार, वेस्टेंड कॉलोनी, मध्य क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी, सुंदर नगर, नजफगढ़ में वेवली अपार्टमेंट, ब्रंमा अपार्टमेंट, पश्चिम क्षेत्र का देवदूत अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र एमसीडी फ्लैट्स न्यू उस्मानपुर, डीडीए फ्लैट्स जाफराबाद, शाहदरा दक्षिण में सैनी एंकेलव, संचार लोक अपार्टमेंट, सिविल लाइंस क्षेत्र में मिरिंडा हाउस टीचिंग फ्लैट्स सहित 56 कॉलोनियां और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी शामिल है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 3 सितंबर, 2022
NAME OF NEWSPAPERS-----DATED-----

एमसीडी की 56 कालोनियों को किया जीरो वेस्ट घोषित

उपराज्यपाल ने प्रमाणपत्र किया जारी

जीरो वेस्ट कालोनी का प्रमाणपत्र देते उपराज्यपाल वीके सक्सेना, साथ में निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ● जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में रैंकिंग सुधारने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 56 कालोनियों को जीरो वेस्ट घोषित किया है। इनमें 28 हरित मित्र, जबकि 28 सहभागिता कालोनियां हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में कालोनियों को प्रमाणपत्र सौंपा। जीरो वेस्ट घोषित किए जाने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने भी खुशी जताते हुए निगम का आभार व्यक्त किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और मैं आप लोगों के बीच हूं। कोई भी अभियान जनभागीदारी के बिना सफल नहीं हो पाता है। जनभागीदारी के साथ से ही अधिकारी सफल हो पाते हैं। निगमायुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में इस ओर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। लैंडफिल साइट को दिल्ली के लिए कलंक बताते हुए उन्होंने कहा कि वह इन्हें खत्म करके ही रहेंगे। इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

ये प्रमुख कालोनियां हैं

- **दक्षिणी क्षेत्र** : बी 5 एवं बी 6 वसंत कुंज, नवजीवन विहार, वैस्टेंड कालोनी
- **मध्य क्षेत्र** : डिफेंस कालोनी, सुंदर नगर
- **नजफगढ़ क्षेत्र** : वेवर्ली अपार्टमेंट, ब्रह्मा अपार्टमेंट
- **पश्चिमी क्षेत्र** : देवदूत अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट
- **करोलबाग क्षेत्र** : डीएलएफ कर्मपुरा, बी-ब्लाक, राजौरी गार्डन
- **रोहिणी क्षेत्र** : स्वस्तिक कुंज, ओवरसीज अपार्टमेंट
- **सिटी सदर पहाड़गंज क्षेत्र** : ओबेराय अपार्टमेंट, रोहतगी अपार्टमेंट
- **शाहदरा उत्तरी क्षेत्र** : दिल्ली नगर निगम फ्लैट्स न्यू उस्मानपुर, डीडीए फ्लैट्स जाफराबाद
- **शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र** : सानी एन्क्लेव, संचार लोक अपार्टमेंट
- **नरेला क्षेत्र** : शांति अपार्टमेंट, इंदिरा कालोनी
- **सिविल लाइंस क्षेत्र** : गुलाब वाटिका, मिरांडा हाउस टीचिंग फ्लैट्स

स्वागतयोग्य प्रयास >> संपादकीय

प्रदूषण की रोकथाम को 33 विभाग बनाएंगे आपस में तालमेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए राजधानी के 33 विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर तदनुरूप कार्य करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को इन विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। बैठक में इस संबंध में बनाई जाने वाली कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में एमसीडी, एनडीएमसी, छावनी परिषद, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग जैसे 33 विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण मंत्री ने एक सप्ताह पहले भी बैठक की थी। इसमें 15 ऐसे बिंदुओं को चिह्नित किया गया था जिन पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया जाना है। अब इन्हीं बिंदुओं को लेकर सभी विभागों के साथ संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस बार ग्रेप के प्रविधानों में बदलाव किए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 5 सितंबर 2022

DATED

आया नगर : कूड़े की बदबू से थे परेशान, शुरू की भूख हड़ताल

■ एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली

छतरपुर विधानसभा के आया नगर के लोग कूड़े के पहाड़ से बहुत परेशान हैं। कई बार शिकायत करने और प्रदर्शन करने के बाद भी परेशानी का हल नहीं हुआ। अब थक हारकर लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता रमेश अम्बावता के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं।

अनशन पर बैठे एन.बी. तिवारी ने बताया कि जिस जगह यह कूड़े का ढेर है, यह डीडीए की जमीन है। यहां लंबे समय से छठ पर्व मनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने डीडीए के पार्क में बाहर से कूड़ा लाकर यहां डलवाया। तब लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि जब तक कूड़े का ढेर खत्म नहीं होगा तब यह रमेश अम्बावता के साथ अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं आप नेता रमेश अम्बावता ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने

डीडीए की जमीन पर फेंका जा रहा कूड़ा, शिकायत के बाद भी नहीं उठा

लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और चेतावनी दी थी कि कूड़े का ढेर नहीं हटा तो वह आमरण अनशन करेंगे। वहीं स्थानीय निवासी राजा का आरोप है कि आया नगर मुख्य मार्ग एच-ब्लॉक ब्लॉक पार्क में कांग्रेस के पूर्व पार्षद एवं एमसीडी की भाजपा सरकार ने यहां कूड़े का अंबार लगा दिया है। आस-पास के रहने वालों का बदबू से जीना बेहाल है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो 'आप पार्टी' के नेता रमेश अम्बावता के

लोगों को मिला आप नेता का साथ

नेतृत्व में अब यह आमरण अनशन कर रहे हैं। अनशन में शामिल आया नगर निवासी ज्योति ने बताया कि पूरे आया नगर के लोग इस कूड़े के ढेर की बदबू से परेशान हैं। जब तक प्रशासन उनकी बात नहीं मानता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।

नोएडा में आज लॉन्च होगी प्लॉट की स्कीम

नोएडा अथॉरिटी सोमवार को इंडस्ट्रियल और ग्रुप हाउसिंग स्कीम के साथ करीब 142 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च करने जा रही है। लोग एक से ज्यादा प्लॉट के लिए आवेदन कर बोली में शामिल हो सकते हैं। एक प्लॉट मिलने पर दूसरे के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा धनराशि जब्त नहीं होगी। अथॉरिटी ने डीडीए की तर्ज पर यह नियम शामिल किया है। (वस)

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2022

डीडीए के प्रोजेक्ट जुर्माने के साथ पंजीकृत

दिल्ली में रेरा के गठन के छह साल बाद संभव हो पाया 18 प्रोजेक्टों का पंजीकरण

संजीव गुप्ता● नई दिल्ली

दिल्ली में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) गठन के छह साल बाद ही सही, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ जारी इसका विवाद अंततः खत्म हो गया। डीडीए के 18 प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत कर लिए गए हैं। यह बात अलग है कि देरी से आवेदन करने पर इन सभी प्रोजेक्टों पर रेरा ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कई प्रोजेक्टों पर समय पर दस्तावेज जमा न करने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। रेरा ने डीडीए को अलग से एस्क्रो अकाउंट शुरू करने से भी छूट दे दी है। आमतौर पर बिल्डर प्रोजेक्ट में एक एस्क्रो अकाउंट होता है और इसमें 70 प्रतिशत तक अमाउंट रखा जाता है। बिल्डर लाबी पर नकेल कसने के लिए रेरा दिल्ली का गजट नोटिफिकेशन नवंबर 2016 में हुआ था। नवंबर 2018 तक रेरा के चेयरमैन खुद डीडीए के वाइस चेयरमैन ही होते थे। इसके बावजूद डीडीए ने अपना कोई प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत नहीं करवाया। इसके चलते दूसरे विभाग भी रेरा में खुद के प्रोजेक्ट पंजीकृत करवाने आगे नहीं आ रहे थे। दिसंबर 2021 में रेरा ने आदेश दिया कि डीडीए के फ्लैट खरीदने वाले लोगों के हितों को देखते हुए प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत करवाने होंगे। डीडीए ने इस आदेश को लेकर एक अपील दायर कर दी। इस मामले में सुनवाई चल ही रही थी कि डीडीए ने रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया। फ्लैट बनाने में पूरी लागत डीडीए ही खर्च करता है। रेरा के चेयरमैन आनंद कुमार ने कहा कि इसका लाभ लोगों को मिलेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। अन्य एजेंसी भी प्रेरित होंगी।

गुणवत्ता और शर्तों के तहत हो सकेगा निर्माण

रेरा का जवाब था कि डीडीए जो पैसा लगा रहा है वह जनता का ही है। यही नहीं, अगर प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत होंगे और समय पर पूरे होंगे तो इसका लाभ लोगों को ही मिलेगा। रेरा में पंजीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट एक तय गुणवत्ता और शर्तों पर तैयार होंगे। रेरा में पंजीकरण होने के बाद प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने की जवाबदेही रहती है। इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की गुंजाइश कम होती है। साथ ही अगर फ्लैट की गुणवत्ता सही नहीं हो तो लोग पांच साल तक रेरा में उसकी शिकायत कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022

NAME OF NEWSPAPERS------------DATED------------

Covid, construction ban delay Nehru 'Palace' crowning

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Delhiites will have to wait for the New Year to get a glimpse of a new-look Nehru Place. The work for the redevelopment of the Nehru Place District Centre was started in 2019 by the Delhi Development Authority (DDA) and was expected to be completed by mid-2022, but due to delays, the target deadline has now shifted to January next year.

The upgrade of the commercial complex, which has emerged as the country's biggest computer goods market in the last few decades, is being carried out at a major scale and the most striking centrepiece of this revamp project is going to be a skywalk, which will directly connect the concourse level of the nearby Nehru Place metro station with the complex. Other features of the project also include a multi-level parking lot.

"The target date of completion for upgrade of Nehru Place is January 31, 2023, and the target date of completion of the multi-level car parking is June 30, 2023," a senior DDA official said. "Upgrade of internal roads by using high-strength cement concrete paver blocks is in progress and the overall internal road work near shops and the marketplace in Nehru Place will be completed by January 2023," he said.

TAKING SHAPE

Photos: Tarun Rawal

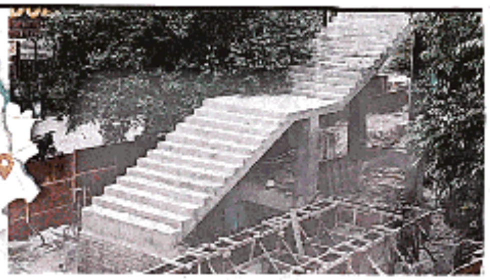

94.4 acres | Area of Nehru Place District Centre

89 | Number of buildings in the complex

₹182.5 crore | Approximate project cost

₹26.6 crore | Fund allocated for redevelopment work under DDA's budget for 2022-23

10 | New toilet blocks coming up

4.5 lakh litre | Capacity of underground water for firefighting

THE JOURNEY

1972 | Nehru Place District Centre built

2019 | Redevelopment work started by DDA in December after NOC from SDMC

2022 | Work was expected to be completed by June

2023 | New target deadline for completion is January 31; Multilevel car parking expected by June 30

ON THE CARDS

- A skywalk from the concourse of Nehru Place Metro Station to plaza near Satyam Cinema has started taking shape
- A multilevel car parking being built
- Facade improvement of buildings
- Improving drainage system
- Granite flooring for plaza and building corridors
- Tensile structures and seating at plaza
- Refurbishment of staircases and footpaths
- Paver blocks at parking space
- Rainwater harvesting system
- All structures to be differently abled-friendly
- Amphitheatre at plaza in central area
- Smart LED lighting poles with Wi-Fi and CCTV cameras
- Public address system and LED display screen

While the overall upgrade work was started by DDA in December 2019 after getting a no-objection certificate from the South Delhi Municipal Corporation, the skywalk started taking shape only earlier this year. "Several reasons, including the construction ban due to Covid-19, curbs by the National Green Tribunal on construction activities in Delhi, etc., caused the delay in work," he said.

The skywalk will connect the concourse area of the metro station with the Central Plaza near Satyam Cinema, according to officials. Once complete, commuters won't need to climb down from the elevated station and cross the busy Astha Kunj Road to reach the Nehru Place District Centre. At the Nehru Place end of the skywalk, they would be able to get down using an elevator and staircase.

The official said that a Reinforced Cement Concrete (RCC) structure for the elevator and the staircase of the skywalk was now complete. The work on pedestals, a compressed supporting structure, for the pillars of the skywalk was in progress, he said. "Footing work (foundation) for basement columns and retaining wall for multi-level car parking is in progress," he said, adding that construction waste was removed from the site regularly so that visitors faced no problem.

Built by DDA in 1972 and spread over nearly 94.4 acre, the Nehru Place complex had a total 89 buildings and was handed over to SDMC for its further maintenance about 30 years ago. Due to the overall dilapidated condition of the complex, DDA had started the work for its renovation.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---DATED--------------------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022

DDA falls in line, Rera focus on pvt realtors

Authority To Pay ₹1L Per Project For Delay

Sidhartha Roy@timesgroup.com

New Delhi: The Real Estate Regulatory Authority (Rera) of Delhi recently registered 18 projects of the Delhi Development Authority (DDA), ending months of disagreement. It also imposed a fine of Rs 1 lakh per project on DDA. The Delhi Rera is now planning to take strict action against private real estate developers not getting their projects registered.

"The law is the same for everybody, be it government or private flats that are for sale," Delhi Rera chairman Anand Kumar told TOI. "We want to facilitate the work and ensure efficiency and quality. We want people to know that they have a recourse with Rera," he said.

DDA had filed an appeal after the Delhi Rera issued an order in December 2021, asking the land development agency to get its projects registered. DDA had argued that it finances its own projects and the flats are sold and handed over only after completion.

"If these were for their own use or their own staff, I would have no issue, but the flats were made for selling," Kumar said. He said that the penalty of Rs1 lakh per project is a nominal one and was imposed to convey seriousness because it could have gone up to 10% of the project cost, according to the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.

The authority has also made it mandatory for developers to register projects with a total developed area of more than 500 square metres or in case it has more than eight units. Kumar appealed that those buying real estate must check if the project is approved by Rera.

Kumar said that action would now be taken against private developers not registering their projects and that Rera is also taking cognizance of builders about whom complaints are being received on cheating landowners, such as not providing floors promised to them. "This includes builders in areas like Vasant Vihar, Westend, Panchsheel, Anand Lok, Punjabi Bagh, etc.," he said.

Kumar said that ensuring government agencies register their projects brings more accountability and apart from DDA, NBCC has also got its projects registered and more agencies like Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd (DSIIDC) are also coming forward.

"We are urging all government agencies with projects of plot sizes of more than 500 square metres to get registered," Kumar said, adding that for those who don't follow the rules, the penalty is going to be harsh.

Kumar said that even though projects being developed by government agencies might be self-financed, getting registered with Rera ensures that there is accountability and quality control is maintained. He said that following NBCC and now DDA, more government agencies are expected to get the registration process cleared in time.

DELHI RERA CHAIRMAN SAYS

The law is the same for everybody, be it government or private flats that are for sale. If these were for their own use or their own staff, I would have no issue, but the flats were made for selling...We are urging government agencies with projects of plot size of more than 500 sq metres to get registered

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NBT संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 4 सितंबर 2022

DATED- हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
रविवार
4 सितंबर 2022

फ्लैट, फ्लोर, मकान या जमीन खरीदने से पहले

क्या-क्या आपको परखना है

1. रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर

जिस भी प्रोजेक्ट (सोसायटी) में फ्लैट खरीद रहे हैं, वह रेरा (Real Estate Regulatory Authority) में रजिस्टर होनी चाहिए। रियल एस्टेट का एक कानून है जो भारतीय संसद से पारित है। इसका मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में आम जनता के हितों की रक्षा करना और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है। अलग-अलग राज्यों में रेरा के नियमों में कुछ फर्क हो सकता है। 500 वर्ग मीटर से कम जमीन पर बने अपार्टमेंट पर रेरा के नियम लागू नहीं होते।

अमूमन हर राज्य में रेरा की अपनी वेबसाइट है (वेबसाइट नीचे दी गई हैं)। वेबसाइट पर हर डिवेलपर को रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान डिवेलपर को बिल्डिंग प्लान, सेंक्शन प्लान, कॉमन एरिया, मिलने वाली सुविधाएं, पजेशन कब मिलेगा जैसी तमाम डिटेल्स डालनी होती हैं। रजिस्टर करने के बाद डिवेलपर को प्रोजेक्ट का एक नंबर मिलता है। संबंधित राज्य की रेरा की वेबसाइट पर जाकर उस नंबर को डालने से डिवेलपर और प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसमें प्रोजेक्ट के ले-आउट प्लान से लेकर प्रोजेक्ट को कौन-कौन से क्लियरेंस मिले हैं, इसकी भी जानकारी होती है। हाउसिंग और कमर्शल प्रॉजेक्ट बनाने वाले डीडीए, जीडीए जैसे संगठन भी इस कानून के दायरे में आते हैं।

2. जमीन का स्टेटस

दिल्ली में मकान या फ्लोर खरीदने से पहले यह जांचें कि कहीं वह अनऑथराइज्ड तो नहीं। काफी लोग अनाधिकृत जमीन पर कब्जा करके मकान बनाकर बेच देते हैं। पता चलने पर MCD उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ देती है और उसके रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी सब-रजिस्ट्रार को सौंप दी जाती है। जब कोई शख्स ऐसी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करने पहुंचता है तो पता चलता है कि वह जमीन या मकान अनऑथराइज्ड है और इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती।

किसी भी सोसायटी में फ्लैट खरीदने से पहले यह जरूर देख लें कि जिस जमीन पर सोसायटी बन रही है, वह जमीन लीज होल्ड वाली है या फिर सेल डीड (रजिस्ट्री) वाली। लीज होल्ड वाली है तो लीज कितने बरसों के लिए है। इसके बदले में जो चार्ज संबंधित अथॉरिटी ने लगाया था, बिल्डर ने वह चुकाया है या नहीं। बिल्डर ने वह नहीं चुकाया है तो बिल्डिंग सील भी हो सकती है।

3. घर के कागज

बिल्डर से प्रोजेक्ट लेआउट की कॉपी मांग सकते हैं। फिर लेआउट प्लान का मिलान रेरा की वेबसाइट या संबंधित अथॉरिटी में जाकर पास हुए नक्शे से कर सकते हैं। यह देखें कि बिल्डर ने जो लेआउट प्लान और नक्शा दिया है, उसी के मुताबिक निर्माण है या नहीं। अगर बिल्डर को संबंधित अथॉरिटी ने ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट या पार्शल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है और सोसायटी में गलत तरीके से बिजली आदि का कनेक्शन जोड़ा गया है तो उस कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

रजिस्ट्री पेपर जरूर देखें: दिल्ली जैसे शहर में कोई मकान या फ्लोर खरीद रहे हैं तो उस मकान की रजिस्ट्री से जुड़े पुराने कागज जरूर चेक कर लें। अगर बायर और सेलर की एक चेन बनी हुई है तो संभव है कि वह मकान या फ्लोर लीगल है। संबंधित जिले के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जमीन से जुड़े रजिस्ट्री पेपर चेक कर सकते हैं।

4. मालिकाना हक

किसी भी जमीन पर मालिकाना हक 2 तरह से हो सकता है:

1. पुश्तैनी या पैतृक जमीन: यह जमीन किसी को उसके पिता या दादा से मिली हुई होती है। ऐसी जमीनों में कई बार सेल डीड यानी रजिस्ट्री के पेपर नहीं होते। लेकिन इनके पास जमाबंदी (सरकार हर 5 से 6 साल पर इलाके के पटवारी से सर्वेक्षण करवाती है और जमीन को असल मालिक के नाम से दर्ज करती है) होती है। पुश्तैनी जमीन खरीदने पर पिछले 5 या 6 जमाबंदी (30 साल) के कागजात जरूर देखें।

2. खुद खरीदी गई जमीन: ऐसी जमीनों की सेल डीड होती है यानी इनकी रजिस्ट्री होती है। इसलिए जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं उससे कागजात की कॉपी लेकर वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जा सकते हैं। वहां से जमीन के पेपर निकलवाते हैं। फिर उसका मूल कागजात से मिलान करते हैं। उस पर जिसका नाम दर्ज है, वह सही है या नहीं। रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस है जो ऊपर बताया गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कल बैठक लेंगे

नई दिल्ली। राजधानी में सर्दी के दौरान होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान जाड़े के प्रदूषण पर संयुक्त कार्ययोजना बनाए जाने पर चर्चा होगी। सोमवार को होने वाली बैठक में दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, छावनी परिषद, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग जैसे तैंतीस विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER millenniumpost
NEW DELHI | SATURDAY, 3 SEPTEMBER, 2022

L-G launches sandalwood plantation drive in Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi L-G V K Saxena on Friday launched a sandalwood plantation drive in Qutabgarh village with 500 farmers planting 1,000 saplings of the expensive tree on the first day, officials said.

On July 3, Saxena had instructed officials to plant 10,000 sandalwood trees in Delhi. During the drive, he expressed the hope that these 1,000 trees, once grown to their full length in the next 10-12 years, will become a financial asset worth Rs 150 crore to the farmers, apart from providing the city with a fragrant green cover.

The L-G said experts from Kannauj in Uttar Pradesh had been roped in for training the farmers, who had undertaken the planation of sandalwood saplings on their plots, in grooming and upkeep of these trees.

The L-G also instructed officials from the Delhi Development Authority (DDA) present on the occasion to ensure the maintenance of the rejuvenated ponds.

He asked for deepening of one of the ponds and erection of railings around the other to ensure that it is not encroached and garbage and waste is not thrown into it.

Saxena has been insisting on the identification, rejuvenation and maintenance of water bodies in the capital in a mission-mode with the aim of making Delhi self-sufficient in its water needs.

Interacting with over a thousand farmers present on the occasion, the L-G recalled his earlier association with the village when, as the KVIC chairman, he had facilitated apiculture (bee-keeping) and successful rejuvenation of a village pond in the locality.

The New Delhi Municipal Council will also be planting 1,000 saplings of red and white sandalwood trees in "closed locations" like parks, gardens of residential societies due to security concerns.

Highlights

- The L-G launched the drive with 500 farmers planting 1,000 saplings of the expensive tree on the first day
- He instructed DDA officials to ensure the maintenance of the rejuvenated ponds
- He asked for deepening of one of the ponds and erection of railings

Metro Ph-4: Over 2.3K trees to be transplanted, felled

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: A total of 1,616 trees will be transplanted and 773 felled for the construction of a few key corridors under the Delhi Metro's Phase 4 project.

The city government has set aside an area of 3.32 hectares for the construction of Neb Sarai metro station-Saket Block corridor.

There are 774 trees at the site, of which 184 will be felled and 590 transplanted at government schools in Chhatarpur, R K Puram, Jonapur and Mandi village.

An area of 7.86 hectares has been exempted for the construction of the Sangam Vihar-Sarita Vihar Depot stretch of the Aerocity-Tughlakabad corridor. Of the 668 trees at the site, 407 will be transplanted and 261 felled.

A total of 472 trees will be transplanted and 194 will be felled for the construction of Aerocity and Vasant Kunj metro stations of the Aerocity-Tughlakabad Corridor being built under Phase 4.

Compensatory plantation will be done on DDA land along NH-24 and DND Flyway near the eastern bank of Yamuna and at Madanpur Khadar.

Around 1.16 hectare area has been exempted for the construction of the Mahipalpur metro station-Saket Block corridor.

There are 271 trees at the site of which 137 will be transplanted and the rest 134 will be felled. Compensatory plantation will be raised at Madanpur Khadar Near NTPC Water Treatment Plant along the western bank of the Yamuna.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। सोमवार • 5 सितम्बर • 2022

NAME OF NEWSPAPERS---------------------------------------DATED---------------------

अवैध रेहड़ी व अवैध पार्किंग माफिया का कब्जा

विवेक विहार बी ब्लाक मार्केट के बाहर अवैध रेहड़ियों व अवैध पार्किंग माफिया कब्जा है। यहां मार्केट के सामने ए ब्लाक में रहने वाले स्थानीय निवासियों का गाड़ी लेकर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मार्केट के नुक्कड़ पर एक पुलिस बीट बाक्स जरू र बना हुआ है, लेकिन वह भी अतिक्रमण की चपेट में है। इन रेहडी वालों से गंदगी का अंबार लगा है। आड़ी-तिरछी गाडियां पूरा रोड बंद कर देती है, जिससे की यहां के स्थानीय नागरिकों को निकलने तक का रास्ता नही मिलता। उपराज्यपाल से अनुरोध है कि मार्केट के बाहर जी का जंजाल बने अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए और यदि दोबारा यह यहां लगवा दिया जाता है तो स्थानीय बीट कांस्टेबल के साथ एसएचओ विवेक विहार और शाहदरा साउथ की डीसी की जवाबदेही तय हो।

श्रवण कुमार, प्रधान, विवेक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन।

सुबह सेंट्रल पार्क बंद होने से लोग मायूस

दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिनभर चहलकदमी तो खूब होती है, लेकिन सुबह सैर करने के लिए आने वाले लोगों को मायूस होना पड़ता है। सुबह सेंट्रल पार्क बंद होने से यहां आसपास की इलाकों में रहने वाले केन्द्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को असुविधा होती है। एनडीएमसी के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि अगर सुबह सेंट्रल पार्क को खोल दिया जाए तो बड़ी संख्या में लोग पार्क में सैर कर सकेंगे।

एक नागरिक, कनॉट प्लेस

सड़क धंसने से परेशानी

शकरपुर बाजार, डी ब्लॉक ट्रांसफार्मर के पास कुछ महीने पहले सीवर की पाइप लाइन की मरम्मत करके एक नया गटर का निर्माण किया गया था। यहां साथ साथ तीन गटर बने हुए है। इन सीवर के गटरों के आसपास की सड़क नीचे धंसने से गड्ढा बन जाता है। पहले भी कई बार यहां पर गढ्ढा होने के बाद उस गड्ढे को भरा जा चुका है। फिर से यहीं पर बार बार सड़क धंस जाती है, जिसका विभाग द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती। नतीजतन बाजार

लोकमंच

में आने जाने वाले वाहनो को उछल उछल कर निकलने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो रिक्शा वाले सवारियों सहित पलट कर घायल हो जाते है। जल बोर्ड अधिकारियों इसका निरीक्षण करके व्यवस्थित समतल सड़क बनाने पर विचार करें।

वैशाली, डी ब्लॉक, शकरपुर बाजार।

नर्सरी की आड़ में अतिक्रमण

रजोकरी हाईवे की तरफ से कापसहेड़ा आते हुए कोने पर एक नर्सरी है। उसकी आड़ में एग्रीकल्चर लैड पर लोगों ने बीड़ी सिगरेट की दुकानें, ढाबा एवं कार रिपेयरिंग व कार वाशिंग के सर्विस स्टेशन खोल रखे है। इससे लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द जनता को इस समस्या से निजात दिलाएं।

लोकेश यादव, कापसहेड़ा।

पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

बृज विहार अपार्टमेंट पीतमपुरा के साथ एक डीडीए का पार्क है। इसमें शाम को असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आवारा लड़के और लड़कियां यहां घूमते, शोर एवं अश्लील हरकतें करते है। पुलिस के उच्चाधिकारी से अनुरोध है कि यहां नियमित गश्त की व्यवस्था कराएं।

बृज विहार के दुखी निवासी।

मुबारकपुर गांव में मुख्य मार्ग खस्ताहाल

बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुबारकपुर गांव में मुख्य मार्ग पिछले 2 वर्ष से खस्ताहाल है। उसके साथ साथ नालियों और गलियों की हालत भी इतनी दयनीय है कि आवागमन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में कई बार निगम पार्षद से लेकर क्षेत्रीय विधायक से फिरयाद कर चुके है। इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है, इस समस्या का शीघ्र समाधान कराएं।

विजय कुमार धानिया, मुबारकपुर।

पंजाब केसरी
3 सितम्बर, 2022

एलजी ने कुतुबगढ़ गांव में की चंदन के पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में चन्दन के पेड़ लगाने के अभियान की शरूआत की। यहां गांव के 500 किसानों द्वारा 1000 चंदन के पौधे लगाए गए। दिल्ली में इस तरह का यह पहला अभियान है। बता दें कि गत तीन जुलाई को एलजी ने अधिकारियों को दिल्ली में 10,000 चंदन के पेड़ लगाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अगले 10-12 वर्षों में 1000 चंदन के पेड़ पूर्ण विकसित होने पर किसानों के लिए 150 करोड़ रूपए के वित्तीय फायदे के रूप में साबित होंगे और शहर में सुगंधित हरियाली बढ़ाएंगे। इस अवसर पर एलजी ने कुतुबगढ़ गांव के साथ अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब वह केवीआईसी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मधुमक्खी पालन की शुरूआत में हिस्सा लिया था एवं गांव के तालाब का सफल जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के विशेषज्ञों द्वारा उन किसानों को पेड़ों की देखभाल व रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अपने प्लाटों पर चन्दन के पेड़ लगाए हैं। एलजी ने वहां मौजूद डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जीर्णोद्धार किए गए तालाबों के रख-रखाव को सुनिश्चित करें।इस अवसर पर सांसद हंस राज हंस, मुख्य सचिव, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

1000 पौधों के रख-रखाव के लिए 500 किसानों को प्रशिक्षण देंगे कन्नौज के विशेषज्ञ

सड़कों से अंधेरा होगा दूर : मनोज तिवारी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को डीडीए द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर शास्त्री पार्क की आंतरिक सड़कों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का स्विच ऑन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी जिला भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन गोयल, दिवाकर पांडे, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष कौशल मिश्रा, महामंत्री डॉ. यूके चौधरी, मनोज त्यागी, डीडीए अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, अधिशासी अभियंता राजेन्द्र गुगलानी सहायक और अभियंता मनीष गौड़ आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने कहा कि अभी तक लगभग 400 स्थानों पर अंधेरा दूर करने का काम उनके प्रयास से हुआ है। उन्होंने डीडीए व अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि काफी दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थीं कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर शास्त्री पार्क एवं खजूरी खास थाने के आसपास की सड़कों पर अंधेरा होने से असामाजिक तत्वों की सक्रियता बढ़ रही है जिससे आपराधिक घटनाएं होने की आशंका बनी हुई थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | SEPTEMBER 3, 2022

L-G launches sandalwood plantation drive in Qutabgarh

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Friday launched a sandalwood plantation drive in Qutabgarh village with 500 farmers planting 1,000 saplings of the expensive tree on the first day. On July 3, Saxena had instructed officials to plant 10,000 sandalwood trees in Delhi.

During the drive, he expressed the hope that these 1,000 trees, once grown to their full length in the next 10-12 years, will become a financial asset worth Rs 150 crore to the farmers, apart from providing the city with a fragrant green cover.

The LG said experts from Kannauj in Uttar Pradesh had been roped in for training the farmers, who had undertaken the plantation of sandalwood saplings on their plots, in grooming and upkeep of these trees.

The LG also instructed officials from the Delhi Development Authority (DDA) present on the occasion to ensure the maintenance of the rejuvenated ponds.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | नई दिल्ली | शनिवार, 3 सितंबर 2022

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED--------------------

जीरो वेस्ट आरडब्ल्यूए व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को हरित मित्र सम्मान

एमसीडी ने 56 कॉलोनियों व हाउसिंग सोसाइटियों को घोषित किया है जीरो वेस्ट कॉलोनी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जीरो वेस्ट आरडब्ल्यूए व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हरित मित्र सम्मान देकर सम्मानित किया। इन सोसाइटियों को सहभागिता योजना के तहत एमसीडी की तरफ से संपत्तिकर में पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। निगम ने अभी तक अपने 12 जोन की 56 कॉलोनियों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी घोषित किया है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में सभी जीरो वेस्ट आरडब्ल्यूए व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

उपराज्यपाल ने कार्यभार संभालते ही निगम को आरडब्ल्यूए व नागरिकों को साथ लेकर शहर को हरा भरा और कचरा मुक्त बनाने का निर्देश दिया था। निगम और आम लोगों के साथ साझा प्रयास से बेहद कम समय में इतनी कॉलोनियां जीरो वेस्ट बन गई हैं।

जीरो वेस्ट कॉलोनियों की आरडब्ल्यूए एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र वितरित करते उपराज्यपाल। अमर उजाला

इन कॉलोनियों को दिए सम्मान व वित्तीय फायदे से बाकी कॉलोनियों को कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर ही कॉलोनियों को प्रमाणपत्र देने की पहल की गई है।

इसके लिए निगम ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से आरडब्ल्यूए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रमाणपत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार, निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती और तमाम आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि व निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ये कॉलोनियां बनीं जीरो वेस्ट

दक्षिणी क्षेत्र में बी-5, बी-6 वसंत कुंज, नवजीवन विहार, वेस्टेंड कॉलोनी, मध्य क्षेत्र में डिफेंस कॉलोनी, सुंदर नगर, नजफगढ़ क्षेत्र में बेवर्ली अपार्टमेंट, ब्रह्मा अपार्टमेंट, पश्चिमी क्षेत्र में देवदूत अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट, करोल बाग क्षेत्र में डीएलएफ करमपुरा, बी ब्लॉक राजौरी गार्डन, रोहिणी क्षेत्र में स्वस्तिक कुंज, ओवरसीज अपार्टमेंट, सिटी सदर पहाड़गंज क्षेत्र में ओबेरॉय अपार्टमेंट, रोहतगी अपार्टमेंट, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम फ्लैट्स न्यू उस्मानपुर, डीडीए फ्लैट्स जाफराबाद, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में सानो एनक्लेव, संचार लोक अपार्टमेंट, नरेला क्षेत्र में शांति अपार्टमेंट, इंदिरा कॉलोनी, सिविल लाइंस क्षेत्र में गुलाब वाटिका, निरंकारी हाउस टीचिंग फ्लैट्स, केशवपुरम क्षेत्र में संदेश विहार, वसुधा एनक्लेव।

एलजी ने चंदन के पौधरोपण अभियान की शुरुआत की

पेड़ों के रख-रखाव के लिए कन्नौज के विशेषज्ञ 500 किसानों को देंगे प्रशिक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कुतुबगढ़ गांव में चंदन पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर किसानों ने 500 किसानों ने 1000 पौधे लगाते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया।

सक्सेना ने जुलाई में अधिकारियों को दिल्ली में चंदन के 10 हजार पेड़ लगाने के निर्देश दिए थे॥ 10-12 वर्षों में जब चंदन के 1000 पेड़ों के पूर्ण विकसित होने पर

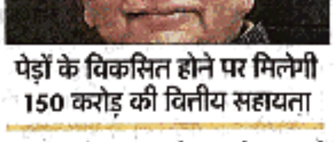

पेड़ों के विकसित होने पर मिलेगी 150 करोड़ की वित्तीय सहायता

किसानों को 150 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

उपराज्यपाल ने कुतुबगढ़ गांव में अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि जब वह केवीआईसी के अध्यक्ष थे, तब मधुमक्खी पालन की शुरुआत में शामिल हुए और गांव के एक तालाब का जीर्णोद्धार करवाया था। उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जीर्णोद्धार किए गए तालाबों का रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक तालाब की खुदाई कर उसकी गहराई बढ़ाने-साथ चारों तरफ रेलिंग लगाई जाए, ताकि अतिक्रमण न हो सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED

THE HINDU
SATURDAY, SEPTEMBER 3, 2022

Investors in DDA's land pooling divided over proposed amendments

'Existing policy not attractive enough, amendments will create legal obstacles'

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

With the proposed amendments to the Delhi Development Act, 1957, which include making land pooling mandatory, now up for public suggestions, those who invested in the Delhi Development Authority's (DDA) policy remain a divided bunch.

For Satish Aggarwal, who invested in the land pooling policy (LPP) after it was first notified in 2013, the proposed amendments come as "a sigh of relief".

One of the proposed amendments will make pooling of land mandatory for the remaining landowners if the minimum participation rate of 70% landowners is achieved, while the other amendment grants powers to the Centre to declare land pooling mandatory, even if the minimum criteria – 70% participation and 70% contiguity – are not achieved.

The DDA headquarters. FILE PHOTO

Policy not attractive

J. Ganesh, a tax consultant who purchased 16 acres in Zone-L in 2014, says the proposed amendments will not remove roadblocks faced by the agency in implementing the policy.

"This move will result in legal battles in future because those who do not wish to participate in the policy won't agree to the mandatory pooling of their land. The policy, which was revamped and notified in 2018, is simply not attractive enough," says Mr. Ganesh.

The conditional notices were issued by the agency on condition that those who have expressed interest in the policy convince the remaining landowners to pool their land within a period of 90 days, failing which the notice will be cancelled.

The DDA first issued conditional notices to landowners in May this year. According to a senior DDA official, as the negotiations among the landowners are still going on, the urban body has decided to extend the deadline for the formation of consortiums till September 30. The official added that the DDA has received a consortium proposal from Sector 3 (Zone P-II), which is being examined.

Crucial step

A senior DDA official said the amendments are aimed at giving legal backing to the LPP, which is a crucial step in removing the existing roadblocks.

"There will always be a section of people who will not be satisfied with the policy. I am sure that even if a legal battle comes up, they will realise that the provisions are meant for their own benefit," the official added.